

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 238/2024**


IN THE MATTER OF:

News item titled "UP gives permission to fell 112000 trees for road along Upper Ganga Canal" appearing in Hindustan Times dated 01.02.2024.

INDEX

S. No	PARTICULARS	PAGE No.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 11 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 09.08.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE ORDER DT. 25.11.2024 ATTACHED AS ANNEXURE A/1	
3.	COPY OF THE GOVERNMENT ORDER DT. 22.05.2019 ATTACHED AS ANNEXURE A/2	
4.	COPY OF LETTER DT. 19.09.2024 ATTACHED AS ANNEXURE A/3	
5.	COPY OF COMPUTERIZED MAP ATTACHED AS ANNEXURE A/4	

6.	COPY OF THE MINUTES OF MEETING DT. 02.12.2024 ATTACHED AS ANNEXURE A/5	
7.	COPY OF THE LETTER DT. 17.12.2024 ATTACHED HEREIN AS ANNEXURE A/6	
8.	COPY OF LETTER DT. 18.12.2024 ATTACHED HEREIN AS ANNEXURE A/7	
9.	COPY OF LETTER DT. 19.12.2024 ATTACHED HEREIN AS ANNEXURE A/8	

THROUGH

BHANWAR RAJ SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P. (NGT)
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 20.12.2024

PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 238/2024



Rahul

UP Bar C
h. No. 16, Zila Bar Building, N

IN THE MATTER OF:



News item titled "UP gives permission to fell 112000 trees for road along Ganga Canal" appearing in Hindustan Times dated 01.02.2024.

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 11 IN COMPLIANCE
OF THE ORDER DT. 25.11.2024 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

1. Gyan Prakash Srivastava, aged about 55 years S/o Naval Kishore Srivastava posted as Chief Engineer, Irrigation and Water Resources Department, State of U.P do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, Gyan Prakash Srivastava, the Deponent in the captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
3. That I state that the captioned matter is pending before the Hon'ble Tribunal and was last listed on 25.11.2024. That as per the said order the

(Handwritten signature)



parties were directed to file their response affidavit within four weeks. Hence, the present affidavit.

A Copy of the Order dt. 25.11.2024 has been attached herein as Annexure A/1.

4. That the above captioned matter pertains to the proposal submitted by the Public Works Department (PWD) for constructing the Kavad Marg, which involved utilizing irrigation land adjacent to the canal. That the Irrigation Department issued a No Objection Certificate (NOC) in accordance with Government Order No. 1687/19-27-C-50(Vantu)/2019 dated 22.05.2019.


A Copy of the Government Order dt. 22.05.2019 has been attached herein as Annexure A/2.

5. That the NOC was issued on 01.03.2021. That the NOC allowed the construction of the Kavad Marg on the right bank of the Upper Ganga Canal by reserving 7.50 meters of land from the canal's Dawla. That the specific conditions imposed in the NOC include:

- i) Approval of the drawing and layout plan by the Irrigation Department before commencing work.
- ii) Supervision of construction by departmental officers.
- iii) No damage to canal structures or interference with canal operations.
- iv) Responsibility of the Public Works Department (PWD) for any future canal widening or related requirements.

That the said NOC is already on record.

6. That a letter dt. 19.09.2024 was written by Chief Engineer (Ganga), Irrigation and Water Resources Department, Meerut, Uttar Pradesh, to the District Magistrate, Meerut, U.P clarifying the aspects of the information



desired regarding Choudhary Charan Singh Kawad Marg right track. That it is stated in the said letter that after discussions and approval of the senior officials, the conditional permission was granted to the Public Works Department by the Chief Engineer (Ganga), Simbai and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Meerut vide letter no. 312 Muaganga/ NOC/ Kawad Marg dated 01.03.2021, in which, among other points, it is also mentioned in point number-10 that *"The coated road should be constructed keeping the slope of the right bank of the canal as 1.5.1, leaving a distance of 7.50 m from the way of the dawla and a minimum cleaver distance of 10 m from the toe of the dawla on the right bank of the Ganga canal and the camber of the proposed road should be kept towards the outer toe."*

A Copy of Letter dt. 19.09.2024 has been attached herein as Annexure A/3.


7. That on 02.12.2024, a meeting was convened under the chairmanship of Chief Secretary, Uttar Pradesh Government to deliberate upon further clarifications and modifications regarding the construction of the Kavad Marg. That the earlier alignment of distance construction of the Kavad Marg involved cutting down a significant number of trees, leading to problems. Therefore, it was decided in the meeting that the Irrigation Department would issue another NOC for constructing the Kavad Marg,

provided that:

A minimum of 2 meters of distance from the dawla is reserved from the canal.

ii) PWD applies for the NOC through the competent authority of the Irrigation Department.

iii) The proposal is duly examined, and necessary approvals are obtained at the competent level before issuing the NOC.





That it is to be noted that a computerised map has been prepared by the Irrigation Department to clarify the modifications and changes regarding the construction of the Kavad Marg.

A Copy of the computerised map has been attached herein as Annexure A/4.

A Copy of the minutes of meeting dt. 02.12.2024 has been attached herein as Annexure A/5.

8. That a letter dated 17.12.2024 was issued by the Chief Engineer (Water Resources), Office of the Chief Engineer, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Lucknow, to the Chief Engineer (Ganga), Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Meerut, it was emphasized that the revised General Arrangement Drawing (GAD) and Layout Plan has not been submitted yet. That the Chief Engineer (Ganga), Meerut, was instructed to ensure that the revised GAD and Layout Plan are prepared, duly signed by a competent officer of the implementing agency, and personally countersigned before issuing a No Objection Certificate (NOC) to the Public Works Department (PWD). It was further clarified that the proposed Kanwar Marg is to be constructed at a distance of 2.0 meters from the toe of dawla of the Upper Ganga Canal's right embankment. Ownership of the canal land will remain with the Irrigation and Water Resources Department, and PWD must bear all costs for road construction, maintenance, and any future adjustments required for canal widening or structure modifications. That provisions were outlined to safeguard the canal's structural integrity, including maintaining the safety of the embankment (*dawla*) and ensuring that no irrigation structures such as regulators or culverts are disturbed. Additional measures stipulated the responsibility of PWD to address issues such as tree removal, obtaining



[Handwritten signature]

necessary NOCs, mitigating environmental impacts, and ensuring public safety during construction. Restrictions were also placed on heavy vehicle movement on the Kanwar Marg, with mandatory installation of check barriers. The responsibility for any disputes, damages to the canal or its structures, or legal matters, including compliance with National Green Tribunal orders and forest regulations, lies solely with PWD. That the said letter concluded with directions to issue a revised NOC for the new Chaudhary Charan Singh Kanwar Marg construction project, spanning 111.490 kilometers from chainage 51.910 to 163.400 on the canal's right track, in the districts of Muzaffarnagar, Meerut, and Ghaziabad, adhering strictly to the conditions specified. It is also pertinent to mention that revised NOC dated 17-12-2024 the following specific condition has also specially mentioned as below :

- " i नहर के अनुरक्षण के कार्य हेतु कांवड़ मार्ग पर मिट्टी रखने एवं अन्य कार्य हेतु कांवड़ मार्ग पर यातायात को कम करने अथवा बन्द करने की आवश्यकता होने पर आवश्यक बैरियर लगाये जाने अथवा मार्ग को बन्द करने का उत्तरदायित्व लोक निर्माण विभाग का होगा।
- ii मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद संख्या-238/2024 के अन्तर्गत कांवड़ मार्ग पर वाद प्रकियाधीन है। उक्त के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का उत्तरदायित्व होगा कि प्रस्तावित मार्ग का संरक्षण उक्त वाद के अन्तर्गत माननीय न्यायालय द्वारा गठित समिति को प्रस्तुत करें एवं माननीय न्यायालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।
- iii वन विभाग के गजट/नोटीफिकेशन संख्या 4041/XIV वर्ष 1954 से ऊपरी गंगा नहर के बैंक के दोनों तरफ की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। अतः कांवड़ मार्ग निर्माण से पूर्व लोक निर्माण विभाग का दायित्व होगा कि वह वन विभाग से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराये कि नहर संचालन के दौरान आकस्मिक स्थिति में नहर की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण हेतु संरक्षित वन क्षेत्र से मिट्टी का उपयोग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा सकता है।



लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग निर्माण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ०ए० संख्या 10.02.2023 श्री हाजी आरिफ बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2023 की अनुपालना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संबन्धित अन्य वादों में पारित आदेशों के कम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण से अनुमति कार्यदायी संस्था(लोक निर्माण विभाग) को स्वयं प्राप्त करनी होगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पारित आदेशों की किसी भी दशा में अवहेलना न होने पाये। साथ ही मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना कार्यदायी संस्था (पी०डब्ल्यू०डी०) की बाध्यता होगी। "

A Copy letter dt. 17.12.2024 has been attached herein as Annexure A/6.

9. That on 18.12.2024 a letter was written by the Chief Engineer (Ganga), Irrigation and Water Resources Department, Meerut, Uttar Pradesh, to the


Chief Engineer, Public Works Department, Meerut, U.P to provide the Layout Plan and Detailed Cross Section of the proposed work signed by a competent officer of the Public Works Department with name, designation, date.

A Copy of the letter dt. 18.12.2024 has been attached herein as Annexure A/7.

10. The Chief Engineer (Ganga), Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Meerut, issued a revised NOC vide Letter No. 2476/Mu.A.Ganga/No Objection, dated 19.12.2024 to the Chief Engineer, Meerut Zone, Public Works Department, Meerut, concerning the revised No Objection Certificate (NOC) for the construction of Chaudhary Charan Singh Kanwar Marg. That the request for the revised NOC was submitted through Letter No. 620 Camp/Vi./Kanwar Canal Track Me.Kshe./2024, dated 02.12.2024. That after obtaining requisite approval and consent from the Chief Engineer and Head of the Department, Lucknow the revised NOC is issued under the conditions specified in Letter No. 954/Anim-8/-1, dated 17.12.2024. That the construction is authorized at a distance of 2.0 meters from the toe of the Dawla on the right track of the Upper Ganga Canal, subject to strict compliance with the requirements mentioned in points 1 and 2 of this office's earlier communication (Letter No. Ni-2462/Mu.A.Ganga, dated 18.12.2024). The Public Works Department is directed to ensure compliance with these conditions within three days of the issuance of this communication. However, the conditions have not been complied yet and no layout plan has been addressed to the Executive Engineer, Irrigation and Water Resources Department, Meerut, U.P.

A Copy of the letter dt. 19.12.2024 has been attached herein as Annexure A/8.

11. This NOC would be effective with effect from the date Hon'ble NGT provides its consent to PWD.





12.Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

13.That I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.





DEPONENT




VERIFICATION

Verified at MEERUT on this 21 day of December, 2024, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 10 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


Rahul Bhatnagar
 Advocate
 UP Bar Council E. N. 3764/20
 Ph. No. 16, Zila Bar Building, Meerut
 Mob. 9219503050


 DEPONENT



Serial No. ...
 Affidavit No. 1528/189
 Verified that Shri. Gagan Prakash Shrivastava
 identified by Shri. Rahul Bhatnagar
 made this affidavit before me on ...
 Oath Commissioner. 21/12/24

Item No. 11

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 238/2024
(I.A. Nos. 365/2024, 289/2024, 286/2024, 285/2024)

News item titled "UP gives permission to fell 112000 trees for road along Upper Ganga Canal" appearing in Hindustan Times dated 01.02.2024

Date of hearing: 25.11.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Respondent: Mr. K.M. Nataraj, ASG (Through VC) with Ms. Garima Prasad, AAG, Dr. Vijendra Mahndiyan, Ms. Apurva Singh & Ms. Divyakshi Singh, Advs. for the State of UP
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Mr. Harsh Vardhan Singh Rajawat & Ms. Gargi Chaturvedi, Advs. for R - 1, 3 to 5
Ms. Anjali Rajput, Adv. for the State of Uttarakhand
Mr. Gigi. C. George, Adv. with D.N. Pathak, Director, Survey of India
Mr. Akash Vashishtha, Adv. for Applicant in I.A No. 285-286/2024
0.0Mr. Suhail Shah, Adv. for Applicant in I.A No. 289/2024 (Through VC)

ORDER

1. In this original application, Tribunal is examining the issue of extent of felling of trees in the course of construction of 111 kilometer Kawar marg from Muradnagar to Purkaji, near Uttarakhand border.
2. Tribunal by the previous order dated 06.11.2024 had taken note of the report of the Joint Committee and had recorded that certain information from different departments was awaited. Hence, only the interim report was submitted and time was sought for filing the final report.
3. Learned Counsel for State of UP submits that another interim report of the Joint Committee has been received, but since it was received belatedly, therefore, it could not be placed on record.

4. In terms of the earlier direction, Survey of India has filed the compliance report dated 21.11.2024.

5. Learned Counsel appearing for Survey of India on instructions has informed that highlighted portion in the table is starting from page 1491 depicts the area and the map number wherein the tree felling has taken place beyond 20 meters. Referring to the map no. 11, it has been pointed out that 7.5 meter was left from the toe of the dowla (dowla-provision on the side of the service road between the service road and channel) for construction of the road. It has been submitted that there is a brick road of 5 meter and, thereafter, 2.5 meter has been left and then 20 meters stretch for construction of the proposed road starts.

6. NOC issued by the Irrigation Department dated 01.03.2021(annexure R-1) Page 970 also states about the proposed roads after leaving 7.5 meter from toe of the dowla.

7. Document on page 1279 defines dowla (Dowel 'Dwarf Bund') as under:

"8.5 Dowla (Dowel 'Dwarf Bund')

Suitable dowels may be provided on the canal side of the service road, on one or both the banks depending upon the type and size of the lined canal. From economic consideration, dowels may be replaced by parapets particularly in case of high embankments. However, the parapet should not be considered additional free board. To check the ingress of rain water behind the lining of the side slopes of the canals, horizontal cement concrete coping 100 mm to 150 mm thick, depending upon size of canal should be provided at the top of lining. The width of coping at the top shall not be less than 225 mm for discharge up to 3 cumecs, 350 mm for discharge more than 3 cumecs and 550 mm for discharge more than 10 cumecs."

8. Counsel for UP, PWD on instructions has submitted that width of the road is 07 meter throughout the entire stretch and it is a two lane road and on both side of the road there is some space left for shoulder

road and storm water drain will be constructed. It was stated before the Tribunal earlier that permission for felling of the tree at some places is up to 20 meters and at some places it is 15 meters but the details of those stretches of 15 meters and 20 meters have not been placed on record.

9. We also take note of the fact that though the in-principle approval dated 28.02.2023 (annexure -3) page 42 has been placed on record but Clause 22 of the said in-principle approval provides as under:

“XXX.....XXX.....XXX

22. Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.”

10. Order passed in terms of Clause 22 has not been placed on record.

11. Any such final approval has also not been placed on record.

12. Counsel for State of UP and Counsel for the applicant have sought time to file objection to the report of the Survey of India.

13. Counsel for the applicant has also placed reliance upon Section 36 (4) of the Biodiversity Act, 2006 and has submitted that Central Government has failed to take action in terms of the said Sub-Section. Sub-Section (4) of Section 36 of Biodiversity Act, 2006 provides as under page:

“ 36 (4) The Central Government shall undertake measures,-

(i) wherever necessary, for assessment of environmental impact of that project which is likely to have adverse effect on

biological diversity, with a view to avoid or minimise such effects and where appropriate provide for public participation in such assessment;

(ii) to regulate, manage or control the risks associated with the use and release of living modified organisms resulting from biotechnology likely to have adverse.

14. MoEF&CC will clarify the above aspect in the next report.

15. We have also noticed following gaps/anomalies in the report during the course of hearing:-

- (i) Assessment of tree felling/contour/resolution has been completed with 28 cm rather than 5 cm.
- (ii) Proceedings so far could not disclose extent of trees fell and areas identified/demarcated for compensatory plantation.
- (iii) Report of Survey of India discloses that certain stretches have witnessed tree cutting but, their locations are not disclosed.
- (iv) No environmental impact assessment on account of road construction particularly with reference to maintain integrity of biodiversity/terrestrial ecology is disclosed.

16. Hence, parties are directed to submit their clarificatory affidavit on the above aspect.

17. Learned Counsel for State of UP submits that final report of the Joint Committee will be filed within four weeks.

18. Parties are directed to file their response affidavit/objection within the same period.

19. List on 23.12.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

November 25, 2024
Original Application No. 238/2024
(I.A. Nos. 365/2024, 289/2024, 286/2024, 285/2024)
JG..

6443

19/10/2019

राज्य नं. १३०

संख्या- 1687/19-27-सि०-4-50(डब्ल्यू)/19

प्रेषक,

मुस्ताक अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

6-401
27-05-19

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन),
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

हा०सं० 5144 / शासन
प्रमुख अभि० (सिंचाई)
दिनांक 23/5/2019

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 22 मई, 2019

विषय: अन्य विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में सिंचाई विभाग की मध्य में भूमि/परियोजनाएं पड़ने पर वांछित अनुमति/अनापत्ति के संबंध में।
महोदय,

अवगत हैं कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित की जा रही योजनाओं के मध्य सिंचाई विभाग की भूमि/परियोजना स्थित होने पर विभागीय भूमि/परिसम्पत्तियों पर कार्य कराये जाने की अनुमति/अनापत्ति निर्गत करने तथा जलापूर्ति किये जाने के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु संदर्भित की जा रही हैं। उक्त के लिए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ०प्र० सक्षम हैं। इस प्रकार शासन को प्रकरण अनावश्यक संदर्भित किये जाने पर विलम्ब के साथ-साथ ही शासन का समय व श्रम नष्ट होता है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय भूमि/परियोजनाओं पर संबंधित विभागों द्वारा अपनी परियोजनाओं पर कार्य कराये जाने व जलापूर्ति हेतु वांछित अनुमति/अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रवृत्त नियमों के आलोक में परीक्षण कराते हुए संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर विभागाध्यक्ष स्तर पर निस्तारित करायें।

3- प्रकरण में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन प्रकरणों से संबंधित एम०ओ०यू० पर श्री राज्यपाल की ओर से हस्ताक्षर अपेक्षित हो, उन एम०ओ०यू० पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षरोपरान्त विभागाध्यक्ष की संसुति तथा सुसंगत शासनादेश के अनुसार राजकोष में निर्धारित लेखाशीर्षक में शुल्क जमा कर चालान की मूल प्रति एम०ओ०यू० के साथ विधीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुस्ताक अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या-1687(1)/19-27-सि०-4, तददिनांक

प्रतिलिपि-प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ०प्र० को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मुख्य अभियन्ता/अभि०)

आज्ञा से
(मुस्ताक अहमद)
विशेष सचिव।

G.O. Letter 2019(M)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ

23/5/19

(मुस्ताक अहमद)
24/5/2019

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता(गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
30प्र0, मेरठ।

प्रेषित,

जिलाधिकारी
मेरठ।

पत्रांक: 9053/मु.अ.गंगा/एन0जी0टी0

दिनांक: 19/09/2024

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा OA-238/2024 में पारित आदेश दिनांक 09/08/2024 के अनुपालन में गठित जाँच समिति द्वारा चौचरण सिंह कॉवड़ मार्ग दांयी पट्टी निर्माण परियोजना के सम्बन्ध में वांछित सूचना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4290/ओएसडी-कैम्प/2024, दिनांक 17.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या 238/2024 के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/08/2024 के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 17/09/2024 को अपराह्न 3:00 बजे वर्चुअल आयोजित की गयी बैठक में पूर्व में मांगी गयी सूचनाओं के साथ अतिरिक्त 02 बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराये जाने की वांछना की गयी है।

बिन्दु संख्या-01 -

समिति के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2010 में अपर गंगा कैनाल दाहिनी पट्टी पर 08 लेन एक्सप्रेस-वे बनाने हेतु तत्समय में परियोजना सिंचाई विभाग द्वारा बनायी गयी थी, जिसमें सम्पूर्ण दाहिनी पट्टी पर कार्य किया जाना था। उक्त परियोजना के संरक्षण से संबंधित उल्लेख दिनांक 09/08/2024 के मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के आदेश में भी है तत्समय पर सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्ताव का क्या आधार रहा है, से अवगत कराया जाये ?

आख्या-

सिंचाई विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ऊपरी गंगा नहर के देहरा जनपद गाजियाबाद से जनपद मुजफ्फरनगर में उत्तराखण्ड राज्य की सीमा से पूर्व तक दाहिने बैंक पर 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस वे का निर्माण वर्ष 2008-09 में प्रस्तावित हुआ था। ऊपरी गंगा नहर के किनारे 08 लेन एक्सप्रेस वे के निर्माण के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.07.2009 एवं 24.07.2009 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया था, तत्पश्चात प्रस्तावित परियोजना का प्रारम्भिक अध्ययन कन्सल्टेंट मै0 आईएल एण्ड एफएस द्वारा कराया गया जिसका प्रस्तुतीकरण उनके द्वारा दिनांक 20.08.2009 को मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में किया गया, जिसमें सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उक्त प्रस्तुतीकरण में अपर गंगा कैनाल के दाए तट पर 08 लेन एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित संरक्षण पर सहमति व्यक्त की गयी।

एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग, 30प्र0 से ऊपरी गंगा नहर के दाहिने बैंक की भूमि का हस्तान्तरण एवं इस पर निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया था। एक्सप्रेस वे का निर्माण 30प्र0 एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपिडा) द्वारा कराया जाना प्रस्तावित था। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु न्यूनतम 43.00 मीटर भूमि की आवश्यकता थी। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सिंचाई विभाग द्वारा तत्समय भी नहरी उपयोग की आवश्यकता के दृष्टिगत ऊपरी गंगा नहर के डौले के बाह्य कोने से 11.00 मीटर छोड़कर एक्सप्रेस वे हेतु 43.00 मीटर भूमि को चिन्हिकरण प्रस्तावित किया गया था। कतिपय कारणों से उपरोक्त प्रस्तावित परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका।

बिन्दु संख्या-02

समिति के सदस्य साईन्टिस्ट “ जी0” वन, पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जानकारी चाही गयी कि दिनांक 09/09/2024 को स्थलीय निरीक्षण के दौरान दाहिनी पट्टी मार्ग पर निरीक्षण पथ/खड़जा कुछ जगहों पर पक्का/सीमेन्टेड बना हुआ मिला वर्तमान में जो एन0ओ0सी0 दी गयी है उसमें निरीक्षण पथ न देने का क्या कारण था, स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया जाये ?

आख्या-

ऊपरी गंगा नहर एक मुख्य नहर है, जिसके दोनों बैंको पर नहरी सेवा मार्ग निर्मित है। नहरी सेवा मार्ग नहर के सैक्शन का अभिन्न हिस्सा होता है, जो नहर के समुचित देख-रेख, पैट्रोलिंग, रख रखाव व मरम्मत के लिये प्रयोग किया जाता है। इस नहर के बांये बैंक के नहरी सेवामार्ग पर पूर्व में ही कांवड मार्ग निर्मित है। यदि नहर की दांयी पट्टी पर भी कांवड मार्ग का निर्माण डोले से सटा कर किया जायेगा, तो ऐसी स्थिति में इस नहर का अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा पैट्रोलिंग आदि के आवश्यक कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित हो जायेंगे। ब्रिटिश कालीन इस नहर के निर्माण के उपरान्त समय-समय पर जल मांग बढ़ने के साथ-साथ नहर की क्षमता वृद्धि भी की जाती रही है। जिसके फलस्वरूप ही यह नहर अपने टैल भाग पर पड़ने वाले जनपदों यथा हाथरस, फिरोजाबाद व एटा पर कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करा पा रही है। भविष्य में इस नहर के कमाण्ड क्षेत्र में जल मांग बढ़ने पर इस नहर की क्षमता वृद्धि की भी आवश्यकता होगी। जिसके फलस्वरूप नहर की चौड़ाई बढ़ाने के लिये दांयी पट्टी का प्रयोग किया जाना अत्यन्त आवश्यक होगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत ही विभागीय उच्चाधिकारियों के विचार विमर्श एवं अनुमोदन उपरान्त मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ के पत्रांक नि0-312 मुअगंगा/एन0ओ0सी0/कांवड मार्ग दिनांक 01/03/2021के द्वारा लोक निर्माण विभाग को सशर्त अनुमति प्रदान की गयी, जिसमें अन्य बिन्दुओं के साथ बिन्दु संख्या-10 में ये भी उल्लिखित है कि “लेपित मार्ग का निर्माण नहर के दांये किनारे का स्लोप 1.5.1 रखते हुए डोले की टे से 7.50 मी0 एवं न्यूनतम क्लीयर दूरी गंगा नहर के दांये किनारे डोले के टे से 10 मी0 छोड़ते हुए किया जाये तथा प्रस्तावित मार्ग का Camber outer Toe की तरफ रखा जाये।”

अतः उक्त से स्पष्ट है कि ऊपरी गंगा नहर के संचालन एवं उस पर निर्मित विभिन्न संरचनाओं के समुचित देख-रेख, रख रखाव, मरम्मत तथा पैट्रोलिंग व विभागीय उपयोग हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि के दृष्टिगत ही उच्चाधिकारियों द्वारा इस नहर के दांये बैंक पर डोले के टे से 7.50 मीटर नहरी प्रयोजन हेतु सेवा मार्ग सुरक्षित रखते हुए पृथक कांवड सेवा मार्ग हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी है।

19/09/24
मुख्य अभियन्ता(गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उ0प्र0, मेरठ

पत्रांक: 9053 /मु.अ.गंगा/दिनांक: 19.09.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता(पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य मेरठ को उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के कम में।
4. अधिषासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ।

19/09/24
मुख्य अभियन्ता(गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उ0प्र0, मेरठ

कांवड़ मार्ग के संबंध में मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2024 को अपरान्ह 12.30 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0 शासन।
2. श्री अजय चौहान, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
3. श्री संजय प्रताप सिंह, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4. श्री अखिलेश कुमार सचान, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 30प्र0।
5. श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, (गंग) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मेरठ।
6. श्री राकेश यादव, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मेरठ।
7. श्री हर प्रसाद, मुख्य अभियन्ता (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गोरखपुर।
8. श्री रमेश चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मेरठ।
9. श्री विकास कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता, (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गोरखपुर।
10. श्री जे0पी0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गोरखपुर।

2- कावड़ मार्ग के निर्माण के लिए वर्ष 2017 में सिंचाई विभाग द्वारा एक एनओसी निर्गत की गई थी जिसमें उपरी गंग नहर के दाहिनी पटरी पर नहर से डौल की 02मीटर जगह छोड़ते हुए पटरी पर मार्ग निर्माण की अनुमति दी गई थी। उपरोक्त मार्ग के निर्माण के लिए कालांतर में नहर से 02 मीटर डौल हेतु तथा 7 मीटर की नहर पटरी यानि की कुल 9 मीटर नहर से छोड़ते हुए मार्ग निर्माण के लिए एनओसी निर्गत की गई है। इस नए एलाइमेंट में अत्यधिक वृक्ष आ रहे हैं जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। उपरोक्त समस्या के निराकरण के लिए यह बैठक आहूत की गई है।

3- बैठक में कांवड़ मार्ग हेतु सिंचाई विभाग की अनापत्ति के संबंध में चर्चा हुई। सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 22.05.2019 के क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित की जा रही योजनाओं के मध्य सिंचाई विभाग की भूमि/परियोजना स्थित होने पर विभागीय भूमि/परिसम्पत्तियों पर कार्य कराये जाने की अनुमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने की व्यवस्था है, जिसके द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, 30प्र0 अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी है।

4- प्रकरण पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उपरी गंग नहर के दाहिने पटरी पर कावड़ मार्ग के निर्माण के लिए नहर से 2 मीटर डौल की भूमि छोड़कर सिंचाई विभाग द्वारा एनओसी निर्गत की जाये। इस संबंध में यह निर्देश दिये गये कि कावड़ मार्ग को नहर की पटरी पर डोले से दो मीटर दूर बनाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा सिंचाई विभाग के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया जायेगा। जिसका परीक्षण करने के उपरान्त सिंचाई विभाग सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) निर्गत करेगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Signed by

Ajay (अजाय गौहान)

Date: 04-12-2024 10:43:17

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 04-12-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उओप्रओ शासन।
2. - प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उओप्रओ शासन।
3. - निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उओप्रओ शासन।
4. - प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उओप्रओ।
5. - प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. - मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
7. - मुख्य अभियन्ता, (गंग) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मेरठ।
8. - मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मेरठ।
9. - मुख्य अभियन्ता (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गोरखपुर।
10. - अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मेरठ।
11. - मुख्य अभियन्ता, (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गोरखपुर।
12. - अधीक्षण अभियन्ता, (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गोरखपुर।
13. - गार्ड फाइल।

Signed by

Prabhu Nath (प्रभुनाथ)

Date: 04-12-2024 10:49:12

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रेषित,

मुख्य अभियन्ता (गंगा),
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, मेरठ।

पत्रांक: 954 /अनिमं-8/यू०-1/2023/M-35

लखनऊ :

दिनांक : 17.12.2024

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दायीं पटरी के चैनैज 51.910 से 163.400 तक) (कुल लम्बाई 111.490) के नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में गंग नहर की दायीं पटरी पर डौले की टो से 2.0 मीटर दूरी पर कांवड़ मार्ग निर्माण हेतु संशोधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक: 12070/मु०अ०गंगा/अनापत्ति/कांवड़ मार्ग/दिनांक 11.12.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो०नि०वि०, मेरठ के पत्रांक-620 कैम्प/नि०/कांवड़ नहर पटरी-मे०क्षे०/2024 दिनांक 02.12.2024 के कम में जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दायीं पटरी के चैनैज 51.910 से 163.400 तक) (कुल लम्बाई 111.490) के नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में गंग नहर की दायीं पटरी पर डौले की टो से 7.50 मीटर दूरी छोड़ते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 137/अनिमं-8/यू०-8/ए-3/दिनांक 19.02.2021 द्वारा मार्ग निर्माण की पूर्व में निर्गत अनापत्ति को संशोधित कर गंग नहर की दायीं पटरी पर डौले की टो से 2.0 मीटर दूरी पर संशोधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की वॉछना के कम में संस्तुति सहित आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी थी।

उक्त के कम में आपके पत्रांक: 12070/मु०अ०गंगा/अनापत्ति/कांवड़ मार्ग/दिनांक 11.12.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सहित आख्या के आधार पर जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दायीं पटरी के चैनैज 51.910 से 163.400 तक) (कुल लम्बाई 111.490) के नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में गंग नहर की दायीं पटरी पर डौले की टो से 2.0 मीटर दूरी पर कांवड़ मार्ग निर्माण हेतु संशोधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत करने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है:-


- 1 अनापत्ति निर्गत करने से पूर्व प्रस्तावित कार्य का Layout Plan तथा Detailed Cross Section पर कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर नाम, पदनाम, दिनांक एवं मोहर सहित स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित किया जाये, जिस पर सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर उनके नाम, पदनाम, दिनांक व मुहर सहित स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को लिखित रूप में एवं दूरभाष के माध्यम से सूचित करते हुए विभागीय अधिकारियों की देख-रेख में ही प्रस्तावित कार्य के Layout तथा निर्माण कार्य का निष्पादन कराया जाए। साथ ही कार्यदायी संस्था द्वारा मार्ग की अनुमोदित ड्राइंग/कार्ययोजना/अनुबन्ध की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।
- 2 प्रकरण के साथ संशोधित GAD तथा Layout Plan संलग्न कर उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संशोधित GAD तथा Layout Plan तैयार कराकर कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त संशोधित GAD तथा Layout Plan प्राप्त कर ली जाये तथा उस पर स्वयं के हस्ताक्षर के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था (लोक निर्माण विभाग) को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाये।
- 3 कांवड़ मार्ग का निर्माण ऊपरी गंगा नहर की दाहिनी पटरी के डौले के टो से 2.0 मीटर दूरी छोड़कर कराया जायेगा।
- 4 कांवड़ मार्ग निर्माण के उपरान्त भी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की भूमि का स्वामित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का ही रहेगा।
- 5 भविष्य में यदि ऊपरी गंगा नहर का चौड़ीकरण अथवा नहर की किसी संरचना हेतु भूमि की आवश्यकता होती है तो लोक निर्माण विभाग को सड़क शिफ्ट का कार्य अपने संसाधनों से स्वयं के व्यय पर कराना होगा। निर्मित सड़क के अनुरक्षण आदि समस्त कार्यों का दायित्व कार्यदायी संस्था (लोक निर्माण विभाग) का ही होगा।
- 6 गंग नहर का डौला यथासम्भव सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जायेगा तथा डौला के पश्चात् आउटर टो तक अथवा जहाँ तक सिंचाई विभाग की भूमि की अधिकारिता है वहाँ तक सड़क ऑफ वे हेतु एन०ओ०सी० प्रदान किये जाते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि नहर से होने वाली सीपेज प्रेशर को रिलीज किये जाने के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा समुचित उपाय किये जायेंगे।
- 7 गंग नहर पर सिंचाई संरचनाओं यथा रेगुलेटर, कुलावा इत्यादि को किसी भी दशा में डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा तथा मार्ग निर्माण कार्य से यदि नहर पर पूर्व निर्मित तथा निर्माणाधीन नहरी संरचनाओं (साइफन, रेगुलेटर, पुल/पुलिया, स्केप, कुलावा इत्यादि) के चौड़ीकरण की आवश्यकता होती है तो उक्त संरचनाओं के निर्माण पर होने वाले व्यय की धनराशि कार्यदायी संस्था (लोक निर्माण विभाग) द्वारा सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी जिससे कि सिंचाई विभाग द्वारा उक्त संरचनाओं का चौड़ीकरण कार्य किया जा सके।
- 8 प्रस्तावित पक्की संरचनाओं का निर्माण पुरानी संरचनाओं के समानान्तर में नव निर्माण के रूप में कराया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित नवीन संरचनाओं का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रचलित मानकों के अनुसार आवश्यकता अनुरूप कराया जायेगा।

- 9 प्रस्तावित कांवड़ मार्ग पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा ऊपरी गंगा नहर के दाहिने बैंक से उदगमित होने वाले 28 नं० हाइड्रोलिक संरचनाओं का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रदेश में एकीकृत दर अनुसूची प्रभावी है जिसके फलस्वरूप उक्त संरचनाओं की लागत में वृद्धि सम्भावित है। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त संरचनाओं की एकीकृत दर अनुसूची के आधार पर आगणित लागत का अन्तर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
- 10 नहर में होने वाले किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा त्वरित एवं तात्कालिक कार्यवाही की जायेगी।
- 11 प्रस्तावित सड़क/कांवड़ मार्ग का निर्माण कार्य नहर के किमी० 51.910 से किमी० 163.400 (111.490 किमी०) के मध्य कराया जाना है, उक्त सड़क का Formation Level नहर के Approved Cross Section के top level के ऊपर रखा जाये।
- 12 कार्य सम्पादन हेतु नहर पटरी पर खड़े वृक्षों को कोई क्षति न हो एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को मार्ग निर्माण का कार्य कराने से पूर्व वन विभाग/पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की भी अनुमति अतिआवश्यक रूप से लेनी होगी। वन विभाग इत्यादि से सम्बन्धित किसी भी वाद विवाद एवं किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही होने पर लोक निर्माण विभाग को स्वयं निराकरण कराना होगा।
- 13 कावड़ मार्ग के संरेखण में पड़ने वाले वृक्षों के पातन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग से स्वयं प्राप्त किया जायेगा। साथ ही सड़क निर्माण हेतु अन्य आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का दायित्व भी लोक निर्माण विभाग का होगा।
- 14 ऊपरी गंगा नहर की तकनीकी सुरक्षा हेतु कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश/आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। तत्कम में लोक निर्माण विभाग द्वारा कांवड़ मार्ग के दोनों छोर एवं इसमें प्रवेश करने वाले समस्त मार्गों पर चेक बैरियर लगाया जाना अनिवार्य होगा।
- 15 ऊपरी गंगा नहर की दोनों पटरियों/सर्विस रोड पर पक्के कांवड़ मार्ग के निर्माण हो जाने की स्थिति में वार्षिक अनुरक्षण/मरम्मत के दौरान अत्यन्त कठिनाई की स्थिति उत्पन्न होगी। इरीगेशन मैनुअल आफ आर्डर (IMO) के प्रस्तर-298 के बिन्दु संख्या 6 में यह प्राविधान है कि वर्षा ऋतु के अतिरिक्त भी प्रभागीय अधिकारी किसी नहर मार्ग को यातायात के लिये वर्ष के किसी अन्य समय में और ऐसी अवधि के लिए बन्द कर सकता है, जिसको वह मरम्मतों के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझें। अतः अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड, गंगा नहर, मेरठ एवं अधिशासी अभियन्ता, मुजफ्फरनगर खण्ड, गंगा नहर, मुजफ्फरनगर द्वारा ऊपरी गंगा नहर के अनुरक्षण/मरम्मत हेतु अनुरोध किये जाने पर उक्त समयावधि हेतु कांवड़ मार्ग को बन्द कराने का दायित्व लोक निर्माण विभाग का होगा।
- 16 सड़क निर्माण के दौरान किसी नहरी संरचना को क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी तथा मिट्टी फिलिंग आदि किये जाने हेतु मिट्टी बैंक/डौला/बर्म अथवा सिंचाई विभाग की भूमि से न ली जाये। यदि निर्माण कार्य के दौरान नहरी संरचना को क्षति पहुँचती है, तो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत आगणन के अनुसार उक्त कार्य की क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
- 17 प्रस्तावित मार्ग पर आवागमन के कारण नहर का आन्तरिक सेक्शन की क्षति सम्भावित है। यदि आन्तरिक सेक्शन में भविष्य में किसी प्रकार की क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा आंकलित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करानी होगी। यदि नहर की लाइनिंग अथवा रिटेनिंग वॉल के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है तो आंकलित धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
- 18 उक्त मार्ग पर आवागमन हेतु सिंचाई विभाग स्वतंत्र होगा तथा नहर पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण मान्य नहीं होगा।
- 19 मार्ग निर्माण कार्य के दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाये जिससे नहर का वाटर-वे प्रभावित/अवरूद्ध हो। साथ ही नहर में सड़क से गांव का किसी भी प्रकार का स्राव/Effluent (पानी इत्यादि) न डाला जाये।
- 20 लेपित मार्ग का निर्माण नहर के दायें बैंक के डौले का स्लोप 1.5:1 रखते हुए डौले की टो से 2.0 मीटर छोड़ते हुए किया जाये तथा प्रस्तावित मार्ग का Camber Outer Toe की तरफ रखा जाये।
- 21 ऊपरी गंगा नहर की दायीं पटरी पर निर्माण किये जाने वाले मार्ग पर यदि भविष्य में टोल लगाया जाता है तो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के वाहनों को उनके परिचय पत्र के आधार पर टोल मुक्त रखा जायेगा।
- 22 नहर के अनुरक्षण के कार्य हेतु कांवड़ मार्ग पर मिट्टी रखने एवं अन्य कार्य हेतु कांवड़ मार्ग पर यातायात को कम करने अथवा बन्द करने की आवश्यकता होने पर आवश्यक बैरियर लगाये जाने अथवा मार्ग को बन्द करने का उत्तरदायित्व लोक निर्माण विभाग का होगा।
- 23 मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद संख्या-238/2024 के अन्तर्गत कांवड़ मार्ग पर वाद प्रक्रियाधीन है। उक्त के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का उत्तरदायित्व होगा कि प्रस्तावित मार्ग का संरेखण उक्त वाद के अन्तर्गत माननीय न्यायालय द्वारा गठित समिति को प्रस्तुत करें एवं माननीय न्यायालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।
- 24 वन विभाग के गजट/नोटीफिकेशन संख्या 4041/XIV वर्ष 1954 से ऊपरी गंगा नहर के बैंक के दोनों तरफ की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। अतः कांवड़ मार्ग निर्माण से पूर्व लोक निर्माण विभाग का दायित्व होगा कि वह वन विभाग से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराये कि नहर संचालन के दौरान आकस्मिक स्थिति में नहर की मरम्मत/सुदृढीकरण हेतु संरक्षित वन क्षेत्र से मिट्टी का उपयोग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा सकता है।
- 25 लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग निर्माण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ०ए० संख्या 16/2014 श्री हाजी आरिफ बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2023 की अनुपालना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण से सम्बन्धित अन्य वादों में पारित आदेशों के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण से अनुमति कार्यदायी संस्था को स्वयं प्राप्त करनी होगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पारित आदेशों की किसी भी दशा में अवहेलना न होने पाये। साथ ही मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना कार्यदायी संस्था (पी०डब्ल्यू०डी०) की बाध्यता होगी।

- 26 प्रस्तावित मार्ग निर्माण पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की ही होगी तथा उक्त निर्माण कार्य हेतु कोई भी धनराशि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा नहीं दी जायेगी। प्रस्तावित मार्ग निर्माण कार्य पर व्यय से सम्बन्धित कोई भी क्लेम सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ द्वारा मान्य नहीं होगा। साथ ही निर्माण के पश्चात मार्ग की मरम्मत/देख-रेख का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।
- 27 निर्माण कार्य के समय जनसुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त सुरक्षा उपाय सभी आवश्यक मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं किये जायेंगे तथा कार्य स्थल पर सुरक्षा के सभी मापदण्ड अपनाये जायें एवं नहर के जिस स्थान/चैनेज पर कार्य कराया जाना है, उसे साइन बोर्ड लगाकर चिन्हित किया जाये। निर्माण कार्य के दौरान एवं भविष्य में किसी भी अप्रिय स्थिति/दुर्घटना के लिये किया गया क्लेम कार्यदायी संस्था को स्वयं वहन करना होगा। साथ ही कांवड़ मार्ग पर यातायात के दौरान यदि कोई जान-माल की हानि/दुर्घटना होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। इसमें सिंचाई विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।
- 28 वित्तीय नियमों एवं प्रचलित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 29 यह अनापत्ति मार्ग के निर्माण हेतु मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति है। उक्त मार्ग के Structural Design/तकनीकी साध्यता के लिए कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी। इसमें सिंचाई विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। साथ ही उक्त निर्माण कार्य पर प्रदान की गयी अनुमति अन्तरणीय नहीं होगी।
- 30 कार्यदायी संस्था द्वारा प्राकृतिक सम्पदा, भूमि, जलवायु, वन, जल, वायु, वन्य जीव, वनस्पति, पर्यावरण, पारिस्थितिकी आदि सम्बन्धी अधिनियमों/शासकीय आदेशों/निर्देशों/गा० उच्च न्यायालय/गा० सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों तथा सुरंगत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा यथा आवश्यक समस्त अनापत्ति/क्लीयरेन्स/सहमति स्वयं सम्बन्धित विभाग/संस्था से प्राप्त करनी होगी।
- 31 कार्यदायी संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों में से किसी भी प्रतिबन्ध के विचलन किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इससे उत्पन्न किसी भी विषम परिस्थिति/जटिलता के लिये कार्यदायी संस्था स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगी।

अतः प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के अनुमोदन एवं सहमति प्रदान करने के उपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपके पत्रांक: 12070/मु०अ०गंगा/अनापत्ति/कांवड़ मार्ग/दिनांक 11.12.2024 द्वारा प्रेषित संस्तुति सहित आख्या एवं शासनादेश संख्या 1687/19-27-सि०-4-50(डब्ल्यू)/2019/दिनांक 22.05.2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार वॉछित अनुमति/अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त शर्तों के अधीन जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दायीं पटरी के चैनेज 51.910 से 163.400 तक) (कुल लम्बाई 111.490) के नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में गंग नहर की दायीं पटरी पर डौले की टो से 2.0 मीटर दूरी पर कांवड़ मार्ग निर्माण हेतु संशोधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपने ही स्तर से कार्यदायी संस्था (मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ) को निर्गत करने का कष्ट करें।


भवदीय,


(राकेश यादव) 17/12
मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन)

पत्रांक: /अनिमं-8/यू०-1/2023/M-35/अनापत्ति/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ।


(राकेश यादव)
मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन)

प्रेषित,

मुख्य अभियन्ता
मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

पत्रांक:- नि 2462 /मु.अ.गंगा/

दिनांक: 18.12.2024

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दायीं पटरी के चैनैज 51.910 से 163.400 तक) (कुल लम्बाई 111.490) के नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में गंग नहर की दायीं पटरी पर डौले की टो से 2.0 मीटर दूरी पर कांवड़ मार्ग निर्माण हेतु संशोधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक: 620 कैम्प/नि०/कांवड़ नहर पटरी-मे०क्षे०/2024 दिनांक 02.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दायीं पटरी के चैनैज 51.910 से 163.400 तक) (कुल लम्बाई 111.490) के नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में गंग नहर की दायीं पटरी पर डौले की टो से 2.0 मीटर दूरी पर कांवड़ मार्ग निर्माण हेतु संशोधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की वाँछना की गयी है।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या- 12070/मु०अ०गंगा/अनापत्ति/कांवड़ मार्ग/दिनांक 11.12.2024 द्वारा संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रकरण उच्च स्तर को प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-954/अनिम-8/यू-1, दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त विषयक संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित शर्तों के अधीन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें निम्नानुसार निर्देश है :-

- 1 अनापत्ति निर्गत करने से पूर्व प्रस्तावित कार्य का Layout Plan तथा Detailed Cross Section पर कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर नाम, पदनाम, दिनांक एवं मोहर सहित स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित किया जाये, जिस पर सिंचाई विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर उनके नाम, पदनाम, दिनांक व मुहर सहित स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को लिखित रूप में एवं दूरभाष के माध्यम से सूचित करते हुए विभागीय अधिकारियों की देख-रेख में ही प्रस्तावित कार्य के Layout तथा निर्माण कार्य का निष्पादन कराया जाए। साथ ही कार्यदायी संस्था द्वारा मार्ग की अनुमोदित ड्राइंग/कार्ययोजना/अनुबन्ध की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।
- 2 प्रकरण के साथ संशोधित GAD तथा Layout Plan संलग्न कर उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संशोधित GAD तथा Layout Plan तैयार कराकर कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त संशोधित GAD तथा Layout Plan प्राप्त कर ली जाये तथा उस पर स्वयं के हस्ताक्षर के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था (लोक निर्माण विभाग) को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावित कार्य का Layout Plan तथा Detailed Cross Section पर लोक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर नाम, पदनाम, दिनांक एवं मोहर सहित अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ को आज ही उपलब्ध कराकर कार्य की संशोधित GAD तथा Layout Plan तैयार कराकर लोक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त इस कार्यालय को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्काल निर्गत किया जा सकें। विलम्ब की स्थिति में इस कार्यालय का कोई उत्तरादायित्व नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता(गंगा)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

उ०प्र०, मेरठ

पत्रांक:- नि 2642 /मु.अ.गंगा/ तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, मेरठ।
3. मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-954/दिनांक 17.12.2024 के संदर्भ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता से तत्काल समन्वय स्थापित कर उपरोक्त वांछित अभिलेख आज ही प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर मु०नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से तत्काल समन्वय स्थापित कर उपरोक्त वांछित अभिलेख आज ही प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता(गंगा)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

उ०प्र०, मेरठ

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता (गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, मेरठ।

प्रेषित,

मुख्य अभियन्ता
मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग,
मेरठ।

पत्रांक- नि 2476 / मुअगंगा/ अनापत्ति

दिनांक: 19/12/2024

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह काँवड़ मार्ग (गंग नहर की दायीं पटरी के चैनैज 51.910 से 163.400 तक) (कुल लम्बाई 111.490) के नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में गंग नहर की दायीं पटरी पर डौले की टो से 2.0 मीटर दूरी पर काँवड़ मार्ग निर्माण हेतु संशोधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह काँवड़ मार्ग (गंग नहर की दायीं पटरी के चैनैज 51.910 से 163.400 तक) (कुल लम्बाई 111.490) के नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में आप द्वारा अपने पत्रांक 620 कैम्प/वि0/काँवड़ नहर पटरी-मे0क्षे0/2024 दिनांक 02.12.2024 के माध्यम से गंग नहर की दायीं पटरी पर डौले की टो से 2.0 मीटर दूरी पर काँवड़ मार्ग निर्माण हेतु संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की वांछना की गयी है।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-12070/मु0अ0गंगा/अनापत्ति/काँवड़ मार्ग/दिनांक 11.12.2024 द्वारा संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु की गयी वांछना के क्रम में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन एवं सहमति के पश्चात मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी पत्र संख्या-954/अनिम-8/यू-1, दिनांक 17.12.2024 (संलग्न) में उल्लिखित शर्तों के अधीन ऊपरी गंगा नहर की दायीं पटरी पर डौले की टो से 2.0 मीटर दूरी पर काँवड़ मार्ग निर्माण हेतु संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र सं0 नि-2462/ मु0अ0गंगा/दिनांक 18.12.2024 द्वारा संशोधित अनापत्ति के बिन्दु सं0 01 व 02 में की गयी अपेक्षा के क्रम में आपके स्तर से कार्यवाही तीन दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से पूर्ण करा ली जाये।
संलग्नक-यथोपरि।

मुख्य अभियन्ता (गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
मेरठ

पत्रांक- नि 2476 / मुअगंगा/ अनापत्ति/ तदिनांक 19-12-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 2- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पश्चिम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, मेरठ।
 - 3- मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-954/ अनिम-8/यू-1, दिनांक 17.12.2024 के संदर्भ।
 - 4- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- अधिसासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन एवं लोक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए शर्त सं0 01 व 02 हेतु वांछित अभिलेख तत्काल प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता (गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
मेरठ

19/12/24

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता (गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, मेरठ।

प्रेषित,

मुख्य अभियन्ता
मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग,
मेरठ।

पत्रांक- नि 2476 / मुअगंगा/अनापत्ति

दिनांक: 19/12/2024

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दायीं पटरी के चैनैज 51.910 से 163.400 तक) (कुल लम्बाई 111.490) के नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में गंग नहर की दायीं पटरी पर डौले की टो से 2.0 मीटर दूरी पर कांवड़ मार्ग निर्माण हेतु संशोधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दायीं पटरी के चैनैज 51.910 से 163.400 तक) (कुल लम्बाई 111.490) के नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में आप द्वारा अपने पत्रांक 620 कैम्प/वि०/कांवड़ नहर पटरी-मे०क्ष०/2024 दिनांक 02.12.2024 के माध्यम से गंग नहर की दायीं पटरी पर डौले की टो से 2.0 मीटर दूरी पर कांवड़ मार्ग निर्माण हेतु संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की वांछना की गयी है।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-12070/मु०अ०गंगा/अनापत्ति/कांवड़ मार्ग/दिनांक 11.12.2024 द्वारा संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु की गयी वांछना के क्रम में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन एवं सहमति के पश्चात मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी पत्र संख्या-954/अनिम-8/यू-1, दिनांक 17.12.2024 (संलग्न) में उल्लिखित शर्तों के अधीन ऊपरी गंगा नहर की दायीं पटरी पर डौले की टो से 2.0 मीटर दूरी पर कांवड़ मार्ग निर्माण हेतु संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र सं० नि-2462/ मु०अ०गंगा/दिनांक 18.12.2024 द्वारा संशोधित अनापत्ति के बिन्दु सं० 01 व 02 में की गयी अपेक्षा के क्रम में आपके स्तर से कार्यवाही तीन दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से पूर्ण करा ली जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

मुख्य अभियन्ता (गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
मेरठ

पत्रांक- नि 2476 / मुअगंगा/अनापत्ति/दिनांक 19-12-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पश्चिम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, मेरठ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-954/ अनिम-8/यू-1, दिनांक 17.12.2024 के संदर्भ।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ/मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन एवं लोक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए शर्त सं० 01 व 02 हेतु वांछित अभिलेख तत्काल प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता (गंगा)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
मेरठ

19/12/24